GOVERNMENT OF INDIA
MIN. OF COMMERCE & INDUSTRY, DEPTT. OF COMMERCE
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
NOIDA SPECIAL ECONOMIC ZONE
NOIDA DADRI ROAD, PHASE-II, NOIDA-201305
DISTT. GAUTAM BUDH NAGAR (UP)

फा. स.10/173/2007-सेज/ **दिनांक: 11/01/2018**

सेवा मे ,

1. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उधोग मंत्रालय, भारत सरकार, उधोग भवन, नई दिल्ली -110001 ।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उधोग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली – 110002 ।
3. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं उत्पाद शुल्क (नोएडा- प्रथम), सी - 56/42, सेक्टर - 62, नोएडा, जिला- गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश)।
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं उत्पाद शुल्क (नोएडा- द्वितिय), फॉर्मूला- वन होटल, वेग्मँस बिजनेस पार्क, प्लॉट नं. 3, नॉलेज पार्क - 3, ग्रेटर नोएडा, जिला- गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश) ।
5. आयुक्त, आयकर, ए 2 डी, आयकर भवन, सेक्टर 24, नोएडा ।
6. उपसचिव (आई एफ - 1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यू ओखला औधोगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नोएडा।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण, 169 चितवन एस्टेट, सेक्टर गामा - द्वितीय, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश) ।
9. महाप्रबंधक, जिला उधोग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा ।
10. उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, ओल्ड जी टी रोड, श्री आनंद वाटिका कॉलोनी, खुर्जा - 203131 (उत्तर प्रदेश)।
11. संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता ।

विषय: <u>दिनांक 05/01/2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सम्मेलन हॉल, प्रशासनिक भवन, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा में आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं खुर्जा (उत्तर प्रदेश) में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रो की अनुमोदन समिति बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में डा० एल बी सिंघल, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता मे दिनांक 05/01/2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सम्मेलन हॉल, प्रशासनिक भवन, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा मे आयोजित आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं खुर्जा (उत्तर प्रदेश) में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रो की अनुमोदन समिति बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है |

भवदीय,

राजेश
11/1/18

(राजेश कुमार)
उप विकास आयुक्त

संलग्नक : उपरोक्त

Tel. Zone Office : 0120 - 3021444 -446 (4 Lines), Fax : 2562314, 2567276
City Office : State Trading Corporation of India Ltd.4th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi-110001
E-mail : < dc@nsez.gov.in > : Website: < www.nsez.gov.in >

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

एनएसईजेड के सभाकक्ष में 05.01.2018 को प्रात: 11 बजे डॉ. एल. बी. सिंघल, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं खुर्जा (उत्तर प्रदेश) स्थित निजी एसईजेड्स की अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्न सदस्य उपस्थित थे:

1. श्री एस.एस.शुक्ला, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड
2. श्री राजेश शर्मा, सहायक आयुक्त, कस्टमस, नोएडा
3. श्री ए.बी.रावत, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय जीएसटी, नोएडा- □
4. श्री आलोक भास्कर शर्मा, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय जीएसटी नोएडा- □□
5. श्री गोबिंद बनर्जी, एफटीडीओ, अतिरिक्त डीजीएफटी, नई दिल्ली का कार्यालय
6. संबंधित एसईजेड डवलपर्स के प्रतिनिधि, विशेष आमंत्रिती

2. इसके अलावा, अनुमोदन समिति के सहयोग हेतु बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे: □). श्री राजेश कुमार, डीडीसी □□). मो. सालिक परवेज विनिर्दिष्ट अधिकारी □□□). श्री प्रकाश चन्द उपाध्याय, एडीसी एवं □□). श्री मोहन वीर रूहेला, एडीसी

3. बैठक के आरम्भ में अध्यक्ष ने सहभागियों का स्वागत किया| संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल प्रत्येक मद एक-एक करके विचार-विमर्श हेतु ली गई| अनुमोदन समिति के सदस्यों के मध्य विस्तृत विचार-विमर्श और डवलपर्स/यूनिट्स के आवेदकों/प्रतिनिधियों से भी वार्तालाप के बाद निम्न निर्णय लिए गए|

1. 01.12.2017 को आयोजित अनुमोदन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया की 01.12.2017 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के बारे में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी सदस्य से कोई सन्दर्भ प्राप्त नहीं हुआ है, अतः 01.12.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई|

2. प्लाट नं 2,3 एवं 4 नॉलेज पार्क – II ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) स्थित आईटी/आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत परिचालन शुरू करने के लिए सामान की सूची के अनुमोदन हेतु मैसर्स विप्रो लि. डवलपर का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के ध्यान में यह बात लाई गई कि प्लाट नं 2, 3 एवं 4, नॉलेज पार्क - II ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) स्थित आईटी/आईटीईएस एसईजेड के डवलपर मैसर्स विप्रो लि. ने अपने एसईजेड में निम्न डिफ़ॉल्ट प्राधिकृत परिचालन शुरू करने हेतु सामान की सूची के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव भेजा था :-

क्र. सं.	प्राधिकृत परिचालन का नाम	लिखत सं. 50 एवं 54 के अनुसार प्राधिकृत परिचालनों की डिफाल्ट सूची पर क्र. सं.	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1	प्रोसेसिंग क्षेत्र में रिक्रिएश्नल सुविधाएं जैसे आंतरिक/बाह्य खेल/ जिमनेजियम/ कर्मचारियों के लिए आराम घर	19	48.88

डवलपर की ओर से श्री राजकुमार सिंह, प्रबंधक अनुमोदन समिति के सामने उपस्थित हुए| उन्होंने सूचित किया कि प्रस्तावित मदें, जिमनेजियम उपकरण हैं जो एसईजेड में जिमनेजियम की स्थापना करने के लिए आवश्यक हैं| पूछे जाने पर उन्होंने अनुमोदन समिति को बताया कि उनके एसईजेड का अधिसूचित क्षेत्र 20.23 हेक्टेयर है, वर्तमान में 54000 स्क्वायर मीटर में भवन का निर्माण किया गया है और एसईजेड में 2500 कर्मचारी काम कर रहे हैं|

समुचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को **स्थगित** कर दिया और डवलपर के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर एसईजेड की स्थापना हेतु भूखण्ड प्राप्ति के समय राज्य सरकार के पास जमा किए गए पूर्ण प्लान को प्रस्तुत करें और भावी समय-सीमाओं तथा करवाई योजना की जानकारी सूचित करें|

3. **प्लाट नं. 20 एवं 21 सेक्टर 135 नोएडा स्थित आईटी/आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत परिचालनों को शुरू करने के लिए सामान की सूची के अनुमोदन हेतु मैसर्स सीव्यू डवलपर्स प्रा. लि. डवलपर का प्रस्ताव:**

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया की प्लाट नं. 20 और 21, सेक्टर 135 नोएडा (उ.प्र.) स्थित आईटी/आईटीईएस एसईजेड के डवलपर मैसर्स सीव्यू डवलपर्स प्रा. लि. ने अपने एसईजेड में निम्न डिफ़ॉल्ट अधिकृत परिचालन को शुरू करने के लिए सामान की सूची के अनुमोदन हेतु दो प्रस्ताव जमा किए थे:

क्र. सं.	अधिकृत परिचालन का नाम	लिखत सं. 50 एवं 54 के अनुसार अधिकृत	अनुमानित लागत

		परिचालन की डिफ़ॉल्ट सूची में क्र. सं.	(रु. लाख में)
प्रस्ताव- □			
1	यूएसी द्वारा अनुमोदित किए अनुसार प्रोसेसिंग क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	163.69
2	विधुत, गैस एवं पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें समुचित क्षमता वाले आवश्यक सब-स्टेशन, पाइपलाइन नेटवर्क आदि शामिल हैं |	04	664.55
3	ठोस एवं तरल वेस्ट का एकत्रीकरण, ट्रीटमेंट एवं डिस्पोजल संयंत्र जिनमें पाइपलाइन्स और सीवेज तथा गारबेज के निपटारे के लिए अन्य आवश्यक संसाधन शामिल हैं, सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र	3	494.44
4	स्प्रिंकलर्स सहित अग्नि सुरक्षा सिस्टम, फायर एवं स्मोक डिटेक्टर	07	6.36
5	प्रोसेसिंग क्षेत्र की एयर कंडीशनिंग	21	129.15
		जोड़:	**1458.19**

प्रस्ताव- □□			
6	एक्सेस नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग सिस्टम	24	87.10
		कुल जोड़:	**1545.29**

श्री जयकुमार, हैड-एसईजेड अनुपालन, श्री अमरीक सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक एवं श्री प्रशांत त्यागी, परियोजना समन्वयक, डवलपर की ओर से अनुमोदन समिति के सामने उपस्थित हुए और प्रस्तावित मदों की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया|

समुचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सामान की प्रस्तावित सूची पर <u>**अनुमोदन**</u> प्रदान किया|

4. **<u>प्लाट नं. 21, सेक्टर- टेकजोन-□□, ग्रेटर नोएडा स्थित मैसर्स अर्थ इन्फ्राटेक प्रा. लि. के आईटी/आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत परिचालन को शुरू करने हेतु सामानों की सूची के अनुमोदन हेतु मैसर्स ट्रस्टोन वैगमैंस डवलपर्स प्रा. लि. का प्रस्ताव:</u>**

अनुमोदन समिति को बताया गया की मैसर्स ट्रस्टोन वैगमैंस डवलपर्स प्रा. लि. जो इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर जिसमें मैसर्स अर्थ इंफ़्राटैक प्रा. लि. प्लाट नं. 21, सेक्टर टेकजोन- □□, ग्रेटर नोएडा के आईटी/आईटीईएस एसईजेड शामिल हैं के को-डवलपर हैं ने निम्न डिफ़ॉल्ट अधिकृत परिचालन को शुरू करने हेतु सामानों की सूची के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव भेजा था:

क्र. सं.	अधिकृत परिचालनों का नाम	लिखत 50 और 54 के अनुसार	अनुमानित लागत

		सामानों की डिफ़ॉल्ट सूची की क्र. सं.	(रु. लाख में)
1	यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किए अनुसार प्रोसेसिंग क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	902.35
2	प्रोसेसिंग क्षेत्र में एयर कंडीशनिंग	21	248.40
3	वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जलापूर्ति लाइन्स (स्त्रोत तक सुस्थापित लाइन्स), सीवेज लाइन्स, स्टोर्म वाटर ड्रेनस और समुचित क्षमता वाले वाटर चैनल्स	02	300.35
4	स्प्रिंकलर्स सहित अग्नि सुरक्षा सिस्टम, फायर एवं स्मोक डिटेक्टर्स|	07	104.20
5	विधुत, गैस एवं पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें समुचित क्षमता वाले आवश्यक सब-स्टेशन शामिल हैं, पाइपलाइन नेटवर्क आदि|	04	38.16
		जोड़:	**1593.46**

यह सूचित किया गया कि अनुलग्नक –□□□ में दिए गए कुल मूल्य में विचलन है जैसा कि सी ई प्रमाणपत्र में यह रु 300.35 लाख बताया गया है और अनुलग्नक –□□□ में रु 300.192 वर्णित है|

श्री राजीव बघेल, प्रबंधक एवं श्री आशीष गर्ग प्रबंधक, को डवलपर की ओर से अनुमोदन समिति के सामने उपस्थित हुए और प्रस्तावित सामानों की जरूरत के बारे में बताया|

समुचित विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सामानों की प्रस्तावित पर **अनुमोदन** प्रदान किया और यह अनुमोदन सही किए गए चार्टर्ड इंजिनियर प्रमाणपत्र के जमा किए जाने के बाद ही मान्य होगा|

5. **प्लाट नं. 21, सेक्टर – टैकजोन-□□, ग्रेटर नॉएडा स्थित मेसर्स अर्थ इन्फ्राटेक प्रा. लि. के आई टी / आई टी ई एस एस ई जेड में अधिकृत परिचालनों को शुरू करने के लिए सामानों की सूची के अनुमोदन हेतु मेसर्स पी. एल. जी. इनक्युबेशन सर्विसेज प्रा. लि. सह-डवलपर का प्रस्ताव :**

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स पी. एल. जी. इनक्युबेशन सर्विसेज ने निम्न डिफ़ॉल्ट अधिकृत परिचालनों को शुरू करने के वास्ते सामानों की सूची के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव भेजा था जो इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के को-डवलपर हैं जिसमे प्लाट नं. 21, सेक्टर – टैकजोन-□□, ग्रेटर नॉएडा स्थित मेसर्स अर्थ इन्फ्राटेक प्रा. लि. के आई टी / आई टी ई एस एस ई जेड शामिल हैं|

क्र. सं.	अधिकृत परिचालनों का नाम	लिखत 50 और 54 के अनुसार सामानों की डिफ़ॉल्ट सूची की क्र. सं.	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1	यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा	22	170.20

	अनुमोदित किए अनुसार प्रोसेसिंग क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण		
2	विधुत, गैस एवं पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें समुचित क्षमता के आवश्यक सब-स्टेशन पाइपलाइन नेटवर्क आदि शामिल हैं |	04	29.00
3	एक्सेस नियंत्रण एवं मोनिटरिंग सिस्टम	24	26.40
		जोड़:	**225.60**

श्री राजीव बघेल, प्रबंधक एवं श्री आशीष गर्ग प्रबंधक, सह-डवलपर की ओर से अनुमोदन समिति के सामने उपस्थित हुए और प्रस्तावित सामानों की जरूरत के बारे में विस्तार से बताया|

समुचित विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सामानों की प्रस्तावित सूची को **अनुमोदित** कर दिया|

6. **प्लाट नं. 20 एवं 21, सेक्टर 135, नॉएडा स्थित मेसर्स सी व्यू डवलपर्स प्रा. लि. के आई टी / आई टी ई एस एस ई जेड में एक यूनिट स्थापित करने के लिए मेसर्स डब्लू एन एस ग्लोबल सर्विसेज प्रा. लि. का प्रस्ताव:**

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स डब्लू एन एस ग्लोबल सर्विसेज प्रा. लि. ने प्लाट नं. 20 एवं 21, सेक्टर 135, नॉएडा (उ. प्र.) स्थित मेसर्स सी व्यू डवलपर्स प्रा. लि. के आई टी / आई टी ई एस एस ई जेड में भवन सं. 5 में 10वीं मंजिल पर 22111 स्क्वायर फुट क्षेत्र में एक यूनिट की

स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था ताकि सर्विस गतिविधियों मुख्यतया आई टी / आई टी द्वारा सम्पन्न होने वाली सेवाओ जैसे बैक ऑफिस, डाटा प्रोसेसिंग एवं कॉल सेंटर सेवाएँ एवं डाटा सपोर्ट, प्रोसेसिंग एवं प्रबंधकीय सेवाएँ शुरू की जा सकें जिसमे 5 वर्ष की अवधि में रु 67346 लाख का अनुमानित निर्यात और रु 6296 1 लाख का क्यूमूलेटिव एन एफ ई हो सकना बताया गया है | यह भी सूचित किया गया कि आवेदक ने आयातित पूंजीगत सामान हेतु रु 1017.10 लाख का निवेश प्रस्तावित किया है|

रु 517. 58 लाख देशी पूंजीगत सामान के लिए निवेश होगा तथा परियोजना की अन्य लागत रिजर्व एवं सरप्लस से पूरी की जाएगी| यह भी सूचित किया गया कि एस ई जेड डवलपर ने आवेदक को प्रस्तावित स्थान के आवंटन हेतु अस्थायी प्रस्ताव भी दिया है|

यह सूचित किया गया कि निम्नलिखित दस्तावेजों / जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जिसके बारे में आवेदक को सूचित कर दिया गया है|

1. सी ए / सी एस द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित कम्पनी की चालू शेयर होल्डिंग की जानकारी जमा नहीं की गई है|
2. रु. 4385 लाख के प्रस्तावित फ़ॉरेक्स आउटगो का सही ब्रेकप दिया जाना आवश्यक है| आवेदक ने रु. 4385 लाख के ब्रेकप के बजाय रु. 4384 लाख का ही ब्रेकप दिया है और रु. 62.961 लाख के बजाय 62.962 लाख का एनएफई दिया है|
3. सुश्री सुलक्षणा पाटनकर के वैध पासपोर्ट की प्रति दिया जाना जरुरी है जैसा कि उनके पासपोर्ट की वैधता अवधि 29.07.2017 को समाप्त हो गई है|
4. श्री दीपक कुमार गुप्ता, निदेशक के अपने पासपोर्ट (02.02.1967) में जन्मतिथि की तारीखों में भिन्नता पाई गई है जबकि पैनकार्ड में (02.02.1965) जन्मतिथि दी गई है|

5. परियोजना रिपोर्ट में आवेदक द्वारा डीएलएफ लि. में यूनिट स्थापित करने की जानकारी दी गई है जबकि आवेदनपत्र सीव्यू डवलपर्स प्रा. लि. नोएडा के लिए दिया गया है|
6. सीजी सूची से रसोई उपकरण का मूल्य अलग किया जाना चाहिए, इसके आलावा 'वायस' एवं 'विविध' मद के बारे में विस्तार रूप से बताना/स्पष्ट किया जाना चाहिए|
7. श्री आर. स्वामीनायन का वर्तमान तारीख के पते का प्रमाण दिया जाना आवश्यक है|

श्री मनीष शर्मा, समूह प्रबंधक एवं श्री विनोद शर्मा, समूह प्रबंधक आवेदक यूनिट की ओर से अनुमोदन समिति के सामने उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताया| आवेदक के प्रतिनिधि ने सूचित किया की उन्होंने दस्तावेज जमा करा दिए हैं|

समुचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को **अनुमोदित** कर दिया जो आवेदक द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के अध्यधीन होगा|

7. **देशी पूँजीगत सामान के मूल्य में वृद्धि के लिए मैसर्स आगामी टेक्नोलॉजीस प्रा. लि. का और प्लाट नं. 6, सेक्टर – टेकजोन, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) के मैसर्स अंसल आईटी सिटी एण्ड पार्कस लि. के आईटी/आईटीईएस एसईजेड में स्थित यूनिट की शर्त सं. एलओए के (□□) में संशोधन का प्रस्ताव:**

यह सूचित किया गया की 03.11.2017 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन समिति ने मैसर्स आगामी टेक्नोलॉजीस प्रा. लि. के उस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था जो प्लाट नं. 6, सेक्टर – टेकजोन, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) में मैसर्स अंसल आईटी एण्ड सिटी पार्कस लि. के आईटी/आईटीईएस

एसईजेड में एक यूनिट स्थापित करने के बारे में था लेकिन यह अनुमोदन, लंबित दस्तावेजों को जमा करने के अध्यधीन था और इसके तहत यह शर्त भी लागू की गई थी कि इस परियोजना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10एए के अन्तर्गत यूनिट, आयकर लाभ प्राप्त करने का दावा नहीं करेगी जैसा की रु. 10.69 लाख के लिए पुराने पूँजीगत सामानों का मूल्य जो डीटीए से अंतरित किया जाना प्रस्तावित है, रु. 19.11 लाख की कुल पूँजीगत सामान के मूल्य के 20% से ज्यादा है जो स्थापित किया जाना प्रस्तावित है (इसमें रु. 8.42 लाख का नया प्रोक्योरमेंट शामिल है) यह सूचित किया गया कि उक्त शर्त (शर्त सं. □□) एलओए दिनांक 20.11.2017 में वर्णित है जो कि यूनिट को जारी किया गया है|

यह भी सूचित किया गया की यूनिट ने अब नए देशी पूँजीगत सामान की कीमत में वृद्धि रु. 8.42 लाख से बढ़ाकर 68.07 लाख किया जाना और एलओए की शर्त सं. (□□) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया है| यह बताया गया कि नए पूँजीगत सामान के मूल्य में वृद्धि हो जाने के बाद, प्रस्तावित पुराने पूँजीगत सामान का अनुपात 55.94% से घटकर 13.57% हो जाएगा और 20% की अधिकतम सीमा के भीतर आ जाएगा जो अनुदेश सं. 11 दिनांक 12.08.2009 में निर्धारित है और जो अनुदेश सं. 70 दिनांक 09.11.2010 में दोहरायी गई है ताकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10एए के तहत आयकर लाभों के लिए पात्रता हासिल की जा सके जो धारा 10एए के अन्तर्गत आयकर प्रावधानों और एसईजेड के प्रावधानों का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन होगा| इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया गया कि यूनिट द्वारा निर्यात/एनएफई प्रोजेक्शंस में किसी प्रकार का परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया गया है|

श्रीमती गुड्डी बाला सिन्हा, निदेशक एवं श्री राणा जयदेव, प्रबंधक यूनिट की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में विस्तार से समझाया|

समुचित विचार-विमर्श के बाद, नए पूँजीगत सामान के मूल्य में वृद्धि हेतु और एलओए दिनांक 20.11.2017 की शर्त सं. (ii) के निरस्तीकरण के लिए अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि आयकर छूट के बारे में अंतिम निर्णय आयकर विभाग का ही होगा|

8. **ग्राम- इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ़ मौजपुर, खुर्जा जिला- बुलंदशहर (उ.प्र.) में मैसर्स अर्शिया नर्दन एफटीडब्लूजेड लि. के फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन में एक यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स ग्लोबल ट्रेड का प्रस्ताव:**

यह सूचित किया गया की 01.09.2017 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन समिति ने ग्राम- इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ़ मौजपुर, खुर्जा जिला- बुलंदशहर (उ.प्र.) में मैसर्स अर्शिया नर्दन एफटीडब्लूजेड लि. के फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन में एक यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स ग्लोबल ट्रेड के प्रस्ताव को **स्थगित** कर दिया था| यह "व्यापारिक गतिविधियाँ" शुरू करने के बारे में था| मैसर्स ग्लोबल ट्रेड के प्रोपराइटर श्री सुलेमान खान को यह निर्देश दिए गए कि वह नौवहन बिलों की प्रति के साथ उनके द्वारा किए गए पिछले तीन वर्षों के निर्यात की जानकारी जमा करें जो किसी सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित की गई हो| इसके अतिरिक्त अनुमोदन समिति ने श्री सुलेमान खान, प्रोपराइटर को निर्देश दिया कि उनकी प्रष्ठभूमि और वर्तमान कारोबार का विवरण भी जमा करें| डवलपर के प्रतिनिधि को अनुमोदन समिति ने यह भी निर्देश दिया कि वह यह पुष्टि करें कि आवेदक फार्म के बारे में अस्थायी प्रस्ताव जारी करने से पहले यूनिट के केवाईसी के संबंध में उनके द्वारा समुचित सावधानी बरती गई है|

यह सूचित किया गया कि अनुमोदित समिति द्वारा निर्देशित किए अनुसार आवेदक से इस कार्यालय के ई-मेल दिनांक 14.09.2017 द्वारा आवश्यक दस्तावेज/जानकारी जमा करने का अनुरोध किया गया था| यह भी सूचित किया गया की डवलपर मैसर्स अर्शिया नर्दन एफटीडब्लूजेड लि. से इस कार्यालय के ईमेल दिनांक 14.09.2017 और उसके अनुस्मारक ईमेल दिनांक 04.10.2017 द्वारा अनुरोध किया गया था कि वह पुष्टि करें कि आवेदक की फर्म के बारे में अस्थायी प्रस्ताव जारी करने से पूर्व यूनिट के केवाईसी के बारे में उनके द्वारा पर्याप्त सावधानी बरती गई है| अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि मेसर्स ग्लोबल ट्रेड ने निम्न दस्तावेज/जानकारी जमा कर दी है :-

i. फर्म के प्रमोटर्स की संक्षिप्त प्रष्टभूमि

ii. कारोबारी बैठक में भाग लेने के लिए समुद्रपारीय ग्राहकों से प्राप्त निमंत्रण पत्रों की प्रतियाँ और विभिन्न देशों के किए गए दौरों के संबंध में श्री सुलेमान खान, प्रोपराइटर के वीजा की प्रतियाँ

iii. इनवॉइस की प्रतियाँ,आवेदक फर्म द्वारा निर्मित रेडीमेड वस्त्रों के निर्यात के प्रमाणस्वरूप एयरवे बिलस जिसमें शिपर का पता मेसर्स ग्लोबल ट्रैड, सी-2, राज रेसीडेंसी, सेक्टर-14, कौशाम्बी गाजियाबाद दर्शाया गया हो जो कि श्री सुलेमान खान, फर्म के प्रोपराइटर का आवासीय पता है|

iv. पिछले 3 सालों की आवेदक फर्म की सीए द्वारा प्रमाणित तुलनपत्र की प्रति जिसमें 2015-16 के दौरान रु. 32.46 लाख की निर्यात बिक्री दर्शायी गई हो|

यह भी सूचित किया गया कि श्री सिद्धार्थ कस्तूरिया, मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी, अरशिया नर्दन एफ टी डब्लू जेड लि. से एक ईमेल दिनांक 29.11.2017 प्राप्त हुई थी कि उन्होंने मेसर्स ग्लोबल ट्रैड के केवाईसी की जाँच पड़ताल की है और दुर्भाग्यवश वे समुचित सावधानी बरते जाने की पुष्टि कर सकने की स्थिति में नहीं है|

श्री डी.के. टौंक, डीजीएम, अरशिया नर्दन एफटी डब्लू जेड लि. अनुमोदन समिति के सामने एफटी डब्लू जेड डवलपर की ओर से उपस्थित हुए और सूचित किया कि मेसर्स ग्लोबल ट्रैड के केवाईसी के संबंध में समुचित सावधानी उनके मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय द्वारा बरती गई है और उन्होंने इसके बारे में पुष्टि नहीं की है|

डवलपर के प्रतिनिधि को अनुमोदन समिति ने निर्देश दिया कि वह मैसर्स ग्लोबल ट्रैड के केवाईसी के संबंध में समुचित सावधानी बरती जाने के संबंध में स्पष्ट द्रष्टिकोण पेश करें| डवलपर के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि वह मैसर्स ग्लोबल ट्रेड के केवाईसी के बारे में समुचित सावधानी बरती जाने के विषय में स्पष्ट द्रष्टिकोण के साथ पुन: आएंगे जैसे ही उन्हें उनके मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय से यह जानकारी प्राप्त होती है|

मौ. सुलेमान खान, मैसर्स ग्लोबल ट्रैड के प्रोपराइटर अनुमोदन समिति के सामने उपस्थित हुए| उन्होंने बताया कि उन्हें निर्यात/ट्रेडिंग क्षेत्र में कार्य करने का व्यापक अनुभव है| उन्होंने यह भी बताया कि डवलपर से समुचित सावधानी बरते जाने की रिपोर्ट लंबित होने के कारण उनके प्रोजेक्ट में देरी हुई है|

अनुमोदन समिति ने यह नोट किया कि मैसर्स ग्लोबल ट्रेड का पिछ्ले 3 वर्षों का तुलनपत्र वर्ष 2015-16 के दौरान केवल रु. 32.46 लाख की निर्यात बिक्री दर्शाता है| इस प्रश्न का उत्तर पूछे जाने पर मौ. सुलेमान खान ने बताया कि पिछ्ले निर्यात अन्य प्रोपराइटरशिप फर्म द्वारा किए गए थे| उन्होंने यह भी

सूचित किया कि गत समय में वह भी अन्य निर्यात/ट्रेडिंग कंपनियों के लिए कार्य कर चुके हैं|

समुचित विचार-विमर्श होने के बाद, समिति ने प्रस्ताव को **स्थगित** कर दिया और मौ. सुलेमान खान को आदेश दिया कि वह 7 दिनों के भीतर इस कार्यालय में निर्यात कारोबार में अपने पिछले अनुभव का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत कर दें, जिसकी एक प्रति डवलपर को दी जाए| अनुमोदन समिति ने यह भी आदेश दिया कि मौ. सुलेमान खान से प्राप्त होने वाले दस्तावेजों को डवलपर के पास अग्रेषित कर दिया जाए और एफटीडब्लूजेड डवलपर के प्रतिनिधि को आदेश दिया कि वह मौ. सुलेमान खान और एफटीडब्लूजेड डवलपर के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक बैठक कराने की व्यवस्था करें और डवलपर के अंतिम निर्णय की सूचना इस कार्यालय को दी जाए|

9. प्लाट नं. 20 एवं 21, सेक्टर 135, नोएडा (उ.प्र.) स्थित मैसर्स सीव्यू डवलपर्स प्रा. लि. के आईटी/आईटीईएस एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कॉनडुएंट बिजनेस सर्विसेज इंडिया एलएलपी का प्रस्ताव:

अनुमोदन समिति को बताया गया कि प्लाट नं. 20 एवं 21, सेक्टर 135 नोएडा (उ.प्र.) में स्थित मैसर्स सीव्यु डवलपर्स प्रा. लि. के आईटी/आईटीईएस एसईजेड में 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर भवन सं. 5 में 63132 स्क्वायर फुट क्षेत्र में तथा भवन सं. 6 की 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर 120711 स्क्वायर फुट क्षेत्र में एक यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कॉनडुएंट बिजनेस सर्विसेज इंडिया एलएलपी से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ताकि उसमें सर्विस गतिविधियाँ शुरू की जा सकें| इनमें 5 वर्षों की अवधि के दौरान रु. 157971 लाख के अनुमानित निर्यात और रु. 154566 लाख के संचयी एनएफई होने का अनुमान है| इन सर्विसेज में मुख्यतया कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सर्विसेज जिसमें सूचना देने वाली सेवाएँ जैसे बैंक ऑफिस परिचालन, डाटा प्रोसेसिंग,

मानव संसाधन सेवाएँ, बीमा दावा प्रोसेसिंग आदि शामिल हैं| यह भी सूचित किया गया कि आवेदक ने आयातित पूँजीगत सामान के लिए रु. 3287 लाख का निवेश प्रस्तावित किया है; देशी पूँजीगत सामान हेतु रु. 4513 लाख परियोजना की अन्य लागत की पूर्ति ग्रुप कम्पनी द्वारा की जाएगी| यह भी बताया गया कि एसईजेड डवलपर ने आवेदक को प्रस्तावित स्थान के आवंटन हेतु एक अस्थायी प्रस्ताव दिया है|

यह सूचित किया गया कि आवेदक को निम्न दस्तावेज/जानकारी अनिवार्यत: जमा करने हेतु सूचित कर दिया गया है:

1. श्री लोकेश प्रसाद के पक्ष में ऐसा प्राधिकार पत्र जिसके द्वारा एलएलपी फर्म की ओर से हस्ताक्षर करने और जमा किए जाने वाले जरुरी आवेदनपत्र जमा करने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया हो|
2. रु. 3405 लाख के प्रस्तावित फ़ॉरेक्स आउटगो का ब्रेकप जमा करना आवश्यक है|
3. निर्धारित प्रारूप में आयकर विभाग से संबंधित जानकारी जमा की जानी आवश्यक है|

यह भी सूचित किया गया कि देशी और आयातित पूंजीगत सामान की सूची में आवेदक ने लिखा है कि कैपटिव जेनेरटिंग सेट्स एवं ट्रांसफार्मर्स, स्पेयर्स, ईधन, लुब्रिकेंट्स, कन्जुमेब्ल्स सहित कैपटिव पावर संयंत्र और कैपटिव पावर संयंत्र हेतु सहायक सामग्री जिसमे जेनेरटिंग सेट्स एवं स्पयेर्स, कन्जुमेब्ल्स और आवरण पत्र में ट्रांसफार्मर्स हेतु सहायक सामग्री शामिल है इसके आलावा यह सूचित किया गया की आवेदक ने घोषणा की है कि वह धारा 10एए के तहत आयकर लाभों की प्राप्ति का दावा नहीं करेगा|

आवेदक यूनिट की ओर से श्री लोकेश प्रसाद नामित साझेदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताया| कैपटिव पावर संयंत्र के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जानकारी भूलवश दी गयी है| इस प्रस्तावित यूनिट में वे पावर जनरेशन की कोई योजना नहीं बना रहे हैं| आयकर लाभों का दावा नहीं करने की घोषणा के संबंध में उन्होंने सूचित किया कि नॉएडा में उनकी 02 एस टी पी आई यूनिट है और वे एस टी पी आई से लैपटॉप और पी सीज को प्रस्तावित एस ई जेड में ले जाने की योजना भी बना रहे हैं| उन्होंने लंबित दस्तावेजों को जल्दी से जल्दी जमा कराने का भी आश्वासन दिया|

समुचित विचार-विमर्श के उपरांत, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जो कैपटिव पावर संयंत्र से संबंधित मदों को हटाकर पूंजीगत सामान की संशोधित सूची के साथ लंबित दस्तावेजो के जमा करने के अध्यधीन होगा और यह इस शर्त के भी अधीन होगा कि यूनिट द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 ए ए के तहत इस प्रोजेक्ट हेतु आयकर लाभों को प्राप्ति का दावा नहीं किया जाएगा जैसा कि आवेदक ने घोषणा की है|

10. <u>प्लाट नं. टी जेड 02 और 2 ए टेक जोन, ग्रेटर नॉएडा में आई टी/ आई टी ई एस एस ई जेड में अधिकृत परिचालनो को चालू करने के वास्ते सामानों की सूची के अनुमोदन के लिए मैसर्स एन आई आई टी टेक्नोलॉजीस लि. डवलपर का प्रस्ताव :</u>

अनुमोदन समिति के ध्यान में यह बात लाई गई कि प्लाट नं. टी जेड 02 और 2 ए सेक्टर- टेक जोन, ग्रेटर नॉएडा (उ.प्र.) में आई थी| आई टी ई एस एस ई जेड के डवलपर मेसर्स एन आई आई टी टेक्नोलॉजीज लि. ने अपने एस ई जेड में निम्न डिफ़ॉल्ट प्राधिकृत परिचालनों को चालू करने के बारे में सामानों की सूची के अनुमोदन हेतु एक प्रस्ताव भेजा था|

क्र. सं.	प्राधिकृत परिचालनों का नाम	लिखत 50 एवं 54 के अनुसार डिफ़ॉल्ट प्राधिकृत परिचालनो में क्र. सं.	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1	एक्सेस नियन्त्रण एवं मोनिटरिंग पद्धति	24	8.50

डवलपर की और से श्री मुकेश चौहान, समूह प्रबंधक अनुमोदन समिति के सामने उपस्थित हुए और प्रस्तावित सामानों की जरूरत के बारे में समझाया |

समुचित विचार विमर्श के बाद समिति ने सामानों की प्रस्तावित सूची को अनुमोदित कर दिया|

11. **प्लाट नं. 3 ए, 3 बी एवं 2 सी सेक्टर 126 नॉएडा में अपने आई टी / आई टी ए एस एस ई जेड में प्राधिकृत परिचालनों को शुरू करने के लिए सामानों की सूची के अनुमोदन हेतु मेसर्स एच सी एल टेक्नोलॉजीस लि. डवलपर का प्रस्ताव :**

अनुमोदन समिति को बताया गया कि प्लाट नं. 3 ए, 3 बी एवं 2 सी सेक्टर 126 नॉएडा (उ. प्र.) में स्थित आई टी / आई टी ई एस एस ई जेड के डेवलपर मेसर्स एच सी एल टेक्नोलॉजीस लि. ने अपने एस ई जेड में निम्न डिफ़ॉल्ट प्राधिकृत परिचालनों को शुरू करने के लिए सामानों की सूची के अनुमोदन हेतु एक प्रस्ताव जमा किया था:

क्र. सं.	प्राधिकृत परिचालन	लिखत 50 एवं 54 के अनुसार समानों की	अनुमानित लागत (रु. लाख में)

		डिफ़ॉल्ट में क्र. सं.	
1	यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किए अनुसार प्रोसेसिंग क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण किया जाना	22	1.86
2	स्प्रिन्क्लर्स अग्नि एवं स्मोक डिटेक्टर्स सहित अग्नि सुरक्षा पद्धति	07	18.76
3	केवल कैपटिव प्रयोग हेतु पावर [पावर बैकप सुविधाओं हेतु]	23	11.92
4	वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जलापूर्ति लाइन्स (स्रोत पर सुव्यवस्थित लाइन) सीवेज लाइन, स्टार्म वाटर ड्रेंस, समुचित क्षमता वाले वाटर चैनलस(पी जेड में)	02	34.81

5	एक्सेस नियन्त्रण एवं मोनिटरिंग पद्धति	24	34.68
6	प्रोसेसिंग क्षेत्र की एयर कंडीशनिंग	21	29.60
		जोड़:	**131.63**

डवलपर की और से श्री सुनील अग्रवाल, ए वी पी, श्री डी. के शर्मा, महाप्रबंधक सुश्री अमिता, महाप्रबंधक एवं श्री सुभाष चन्द्र,उप प्रबंधक अनुमोदन समिति के सामने उपस्थित हुए और प्रस्तावित सामानों की जरूरत के बारे में समझाया|

समुचित विचार विमर्श के बाद समिति ने सामानों की प्रस्तावित सूची को **अनुमोदित** कर दिया|

12. **प्लाट नं. 3ए, 3बी एवं 3सी सेक्टर 126 नॉएडा स्थित आई टी / आई टी ई एस एस ई जेड में □रिटेल स्टोर□ स्थापित करने और चलाने के लिए मेसर्स लोटस बाजार को स्थान आवंटित करने हेतु मेसर्स एच सी एल टेक्नोलॉजीस का प्रस्ताव :**

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स एच सी एल टेक्नोलॉजीज लि. ने प्लाट नं. 3 ए, 3 बी एवं 2 सी सेक्टर 126 नॉएडा में आई टी / आई टी ई एस एस ई जेड के प्रोसेसिंग क्षेत्र में प्लाट नं. 2 सी स्थित यूटिलिटी भवन में एस ई जेड के कर्मचारियों के प्रयोग हेतु एक ‘रिटेल स्टोर’ स्थापित करने और उसके संचालन हेतु 447.69 स्क्वायर मीटर स्थान के आवंटन हेतु

एक प्रस्ताव जमा किया है और जिसके लिए मेसर्स लोटस बाजार से कोई शुल्क/प्रभार नहीं लिया गया है|

डवलपर के और से श्री सुनील अग्रवाल, , ए वी पी, श्री डी. के शर्मा, महाप्रबंधक सुश्री अमिता, महाप्रबंधक एवं श्री सुभाष चन्द्र,उप प्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए| डवलपर के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि प्रस्तावित स्टोर में रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध रहेंगी और उससे 24 × 7 शिफ्ट में काम करने वाले एच सी एल के कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि में ज्यादा सुधार होगा|

अनुमोदन समिति ने नोट किया कि 'शोपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस' की प्रस्तावित गतिविधि केवल एसईजेड के गैर-प्रोसेसिंग क्षेत्र में ही सम्पन्न हो सकती है और एसईजेड के प्रोसेसिंग क्षेत्र में इन गतिविधियों हेतु तब तक अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि बीओए द्वारा विशेष रूप से इसके लिए अनुमति न दे दी जाए| अनुमोदन समिति केवल उन गतिविधियों के लिए ही अनुमति दे सकती है जो एसईजेड नियम के नियम सं 11(5) की परिधि के अन्तर्गत आती हैं| डवलपर के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके एसईजेड में कोई गैर-प्रोसेसिंग क्षेत्र है ही नहीं क्योंकि 100% अधिसूचित क्षेत्र को प्रोसेसिंग क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है|

पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को निरस्त कर दिया| अनुमोदन समिति ने डवलपर को सूचित किया कि वे अधिसूचित भूमि के किसी हिस्से को गैर-प्रोसेसिंग क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर दें और इस कार्यालय में एक आवेदनपत्र जमा करा दें जिसमें प्रोसेसिंग क्षेत्र और गैर-प्रोसेसिंग क्षेत्र को चिन्हित करने का अनुरोध किया गया हो| डीसी, एनएसईजेड से प्रोसेसिंग क्षेत्र एवं गैर-प्रोसेसिंग क्षेत्र को चिन्हीकरण का अनुमोदन मिल जाने के बाद, डवलपर

को एसईजेड में गैर-प्रोसेसिंग क्षेत्र में ऐसी गतिविधि शुरू करने के लिए पुन: आवेदन करना चाहिए|

13. **ग्राम – इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ़ मौजपुर, खुर्जा जिला बुलंदशहर (उ.प्र.) स्थित मैसर्स अर्शिया नर्दन एफटीडब्लूजेड लि. के फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन में एक यूनिट स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए एलओए दिनांक 08.08.2017 के अनुलग्नक-1 में अतिरिक्त मद को शामिल करने हेतु मैसर्स लक्ष्मीपति बालाजी एक्जिम ट्रेडिंग लि. का प्रस्ताव:**

अनुमोदन समिति के ध्यान में यह बात लाई गई की ग्राम – इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ़ मौजपुर, खुर्जा जिला बुलंदशहर (उ.प्र.) स्थित मैसर्स अर्शिया नर्दन एफटीडब्लूजेड लि. के फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन में स्थापित एक यूनिट हेतु एलओए दिनांक 08.08.2017 के अनुलग्नक- 1 में निम्न मद को शामिल करने के वास्ते मैसर्स लक्ष्मीपति बालाजी एक्जिम ट्रेडिंग लि. ने एक प्रस्ताव जमा किया है|

क्र. स.	मद का विवरण	आईटीसी (एचएसकोड)
1	स्वचालित परिक्षण एवं जांच उपकरण (अन्य)	90318000 (फ्री)

श्री डी. के. टौंक, डीजीएम यूनिट की ओर से अनुमोदन समिति के सामने उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में समझाया|

समुचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया|

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही बैठक का समापन हुआ|

(एस. एस. शुक्ला)	(डॉ. एल. बी. सिंघल)
संयुक्त विकास आयुक्त	विकास आयुक्त